"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डांक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2009— आषाढ़ 5, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं डॉ. मनीष श्रीवास्तव आत्मज श्री वी. सी. श्रीवास्तव, उम्र 44 वर्ष, निवासी-श्रीराम भवन, कायस्थ पारा, पुरानी,बस्ती, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर डॉ. मनीष शरण श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे डॉ. मनीष शरण श्रीवास्तव आत्मज श्री वी. सी. श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
डॉ. मनीष श्रीवास्तव आत्मज श्री वी. सी. श्रीवास्तव निवासी-श्रीराम भवन, कायस्थ पारा पुरानी बस्ती, रायपुर तहसील व जिला- रायपुर (छ. ग.)	डॉ. मनीष शरण श्रीवास्तव आत्मज श्री वी. सी. श्रीवास्तव निवासी-श्रीराम भवन, कायस्थ पारा पुरानी बस्ती, रायपुर तहसील व जिला- रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बिट्टू आत्मज श्री सुनील कुमार, निवासी-42, शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर बिट्टू कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पंत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बिट्टू कुमार आत्मज श्री सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
बिट्टू	बिट्टू कुमार
आत्मज श्री सुनील कुमार	आत्मज श्री सुनील कुमार
निवासी-42, शाला मार्ग, चौबे कालोनी	निवासी-42, शाला मार्ग, चौबे कालोनी
रायपुर	रायपुर
तहसील व जिला- रायपुर (छ. ग.)	तहसील व जिला- रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 9 जून 2009

क्रमांक/282/उपंरा/परि./2009.—वस्तुत: सत्यदेवा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 489, दिनांक 12-11-2007 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/117 /उपंरा/परि./2009, दिनांक 18-2-2009 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर के शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्यदेवा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 489, दिनांक 12-11-2007 जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत श्री पी. के. बोस, सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 9 जून 2009

क्रमांक/283/उपंरा/परि./2009.—वस्तुत: अंजली महिला सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित गण्डई पण्डरिया, पंजीयन क्रमांक 104, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1020/उपंरा/परि./2008, दिनांक 06-12-2008 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर के शक्तियों का उपयोग करते हुए अंजली महिला सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित गण्डई पण्डरिया, पंजीयन क्रमांक 104, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.